न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी:- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर: 30/2020

उनवानी प्रकरण:- 1. श्री हनुमान जी महाराज मूर्ति नाबा० जरिये हाईमाम पुजारी अतर सिंह पुत्र श्यामलाल जाति लोधा, निवासी ग्राम मरैना तह० राजाखेड़ा
----वादी

बनाम

1- गिरवर सिंह ⎫ पुत्रगण
2- गौतम सिंह ⎭ हरिविलास
3- शोबरन सिंह पुत्र नेकराम
4- पूरन सिंह पुत्र नाथूराम (तर्फ)
5- अतर सिंह द्वारिका प्रसाद (तर्फ)
6- वीरेन्द्र सिंह पुत्र धरपाल
7- सुबेदार सिंह पुत्र रामदयाल
8- श्रीमान तहसीलदार राजाखेड़ा

(अकवाम लोधा निवासीगण ग्राम मरैना तहसील राजाखेड़ा)

----प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- श्री विमल कुमार शर्मा एड० वकील वादी

निर्णय दिनांक:- 17-6-2021

वादी की ओर से यह वाद इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर०टी० एक्ट एवं अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट इन तथ्यों के साथ पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी ख०नं० $\frac{359}{0-08}$, $\frac{360}{0-03}$, $\frac{361}{3-08}$ ग्राम मरैना में स्थित है। ख०नं० 359 देवस्थान विभाग की एवं ख०नं० 360 सीका विभाग की जमीन है। ख०नं० 359 में एक प्राचीन वादी की मूर्ति स्थापित है। साथ में देवी की मूर्ति भी है। जिनकी पूजा अर्चना नारायण गिरि महात्मा करते थे, इस मन्दिर से लगी सिवाय भूमि पर कास्त करके लाभ को वादी के हित में अर्पित करते थे। करीब 38 वर्ष पूर्व वादग्रस्त ख०नं० 361 की आराजी का सीमन स्व० नारायण गिरि महाराज (महात्मा) के पक्ष में विधि पूर्वक हुआ था

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

और नारायण गिरि को वादग्रस्त आराजी ख.न. 361 का गैर खातेदार अंकित किया गया था। कुछ समय पश्चात नारायण गिरि का देहान्त हो गया उनके बाद स्वयं विजय गिरि महात्मा ने ग्रहण किये और वे उक्त आराजी पर काबिज हुए तथा मन्दिर पर वादी की पूजा अर्चना करने लगे तथा इस आराजी की काश्त से प्राप्त लाभ को वादी के हितार्थ उपयोग में लेने लगे। विजय गिरि द्वारा वादी की उपासना एक सेवक के रूप में की गई तथा इस आराजी को कभी भी अपनी स्वयं की आराजी नहीं माना, अपने जीवन काल में ही उन्होंने विवादित आराजी ख.न. 361 को वादी के हित में समर्पण कर दी थी तथा वादी को ही वादग्रस्त आराजी की खातेदारी हित जानी की अभिव्यक्ति (घोषणा) कर दी थी। दिनांक 6/6/1991 को विजय गिरि का देहान्त हो गया उनके देहान्त होते ही उनके द्वारा समर्पण की गई विवादित आराजी एवं दीगर सम्पत्ति पर वादी का अधिकार पूर्ण हो गया जो आज तक है। इस प्रकार विवादित आराजी पर वादी की स्थिति एक खातेदार के रूप में है। विवादित आराजी की काश्त से वादी की कुछ समय तक पूजा अर्चना श्री बाबूराम शर्मा ने की, उसके बाद हुकम गिरि ने उनके बचनदास ने की। वर्तमान में वादी की पूजा सेवादार स्वरूप में अन्तराम कर रहा है तथा वादग्रस्त आराजी की काश्त का लाभ में वादी पर खर्च करता है। विवादित आराजी के पड़ौसी प्रतिवादीगण हैं वे विवादित आराजी की सीमाओं को तोड़कर कब्जा करते हुए चले आ रहे हैं। वादी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वे सेवादार को धमकी देने लगे कि विवादित आराजी हनुमान जी की है वह हमारे भी इष्टदेव हैं इसलिए हमारा भी हक बनता है। हम पूजा अर्चना करेंगे तथा विवादित आराजी पर कब्जा करने लगे एवं धमकी दी। वादग्रस्त आराजी ख.न. 361 का रकबा 03 बीघा 8 बिस्वा का है जिसे नक्शे की आकृति में दिखाया विवादित नम्बर काफी छोटा है इसे नक्शा अक्श में शुद्ध किया जाना अति आवश्यक है। वस्तुतः जहाँ पर 361 ख.न. की आकृति है वहाँ पर ख.न. 360/0-03 होना चाहिये, जहाँ पर ख.न. 360/0-03 की नक्शा ट्रेस में आकृति है वहाँ पर 359/0-08 होना चाहिये तथा जहाँ पर 359/0-08 की आकृति है वहाँ पर ख.न. 361/3-08 की आकृति होनी चाहिये। जमाबन्दी में जिस प्रकार रकबा खसरा नम्बरान का अंकित है। नक्शा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

(3)

अंकित आराजी से निशान नहीं होता है। जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा वाद पत्र के अन्त में आ.ख.नं. 361 का वादी का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा ख.नं. 360, 359 व 361 का नक्शा तरमीम निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश के साथ दावा डिक्री किये जाने बावत निवेदन किया।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1, 2, 3, 6 व 7 अपने वकील के साथ न्यायालय में हाजिर आये। उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी 4 व 5 को दौराने दावा तर्क किया गया। प्रतिवादी सं. 8 तहसीलदार राजाखेड़ा की ओर से जवाब दावा दिनांक 18-2-2021 को पेश किया गया, जिसमें उनके द्वारा दावा के कथनों को स्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि विवादित आराजी ख.न. 361 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में विजयगिरि चेला नारायन गिरि कौम ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज है। खातेदार विजयगिरि अविवाहित लावल्द थे। जिनका स्वर्गवास दिनांक 6-6-1991 को हो गया है। तथा विवादित आराजी की उपज का वादी श्री हनुमानजी महाराज की सेवा में ही उपयोग उपयोग हो रहा है। उनके द्वारा दिनांक 6-2-2021 को भू.अभि.नि. हल्का के साथ मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा तैयार किया गया था। जिसे जवाब दावा के साथ संलग्न किया है। मौका पर्चा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों, सरपंच ग्राम पंचायत मरैना ने उक्त विवादित भूमि को हनुमान महाराज के नाम करने की सहमति जाहिर की है तथा यह भी बताया है कि विजयगिरि महाराज ने अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमि पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना करायी थी तथा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि हनुमान जी महाराज की सेवा, पूजा अर्चना हेतु समर्पित कर दी थी वे इस भूमि को हनुमान जी महाराज के नाम करना चाहते थे लेकिन अकस्मात दि. 6-06-1991 को उनका

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः 4

निर्विवाद हो गया। जिससे उनकी इच्छा अधूरी रह गयी।
[illegible] के द्वारा विवादित भूमि का हनुमान जी महाराज के नाम करने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वाद पत्र में प्रस्तावनुसार ख.न. 359, 360 व 361 का नक्शा ट्रेस में शुद्ध किये जाने पर भी तहसीलदार द्वारा शुद्ध करना उचित बताया है।

साक्ष्य वादी में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2073-76 ख.नं. 359, 360 एव 361 पृष्ठ ए1 से ए8, प्रदर्श 1, 2 व 4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-3, नकल नामान्तरकरण संख्या प्रदर्श-5, नकल नामान्तरकरण 59 प्रदर्श-6, नकल जमाबन्दी सं. 2032-35 प्रदर्श-7 पेश किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में बयान अन्तर हरि सिंह पिता बाबा शरण सिंह PW-2 करवाये गये हैं। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

हमने बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराया तथा दस्तावेजी एव मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा को पूरी तरह साबित होना बताया तथा दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई बहस नहीं की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर किया, तथा बहस वकील वादी पर मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्य पर उपलब्ध, दिखाई नकल जमाबन्दी सं. 2032-35 में आराजी 361 रकबा 3-08 बीघा विवादित भूमि विजय गिरि चेला नारायन गिरि जाति गुसाईं सा. देह गैरखातेदार दर्ज दिखाई है तथा नामान्तरकरण सं. 59 ग्राम सनावली में यह आराजी ACM साहब धौलपुर के आदेश दिनांक 169-72 से नारायनगिरि के नाम नियमित किये जाने का इन्द्राज दर्ज है। जिससे इस आराजी का नारायणगिरि के नाम नियमित होना साबित होता है। नारायनगिरि की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण सं. 65 से इसको विरासत दाखिल विजयगिरि के नाम खोला गया है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

वर्तमान जमाबन्दी सं. 2073-76 में यह विवादित आराजी ख.न. 361 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा विजयागिरि चेला नारायण गिरि कौम ब्राह्मण साधु की खातेदारी में दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी की गैरखातेदारी से खातेदारी दे चुकी है। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा एवं मौका पर्चा के अनुसार विजय गिरि की मृत्यु दिनांक 6-6-1991 को हो चुकी है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह आराजी आज तक विजय गिरि के नाम ही दर्ज चली आ रही है। वादी के वाद पत्र के अनुसार विजय गिरि ने अपने जीवनकाल में इस आराजी पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाकर तथा इस जमीन पर कब्जा करके काश्त कर लाभ को हनुमान जी की सेवा में खर्च करते थे तथा अपने जीवनकाल में ही इस जमीन को हनुमान जी के हक में समर्पण कर दिया था, लेकिन रिकार्ड नाम कराने से पूर्व अकस्मात उनकी मृत्यु हो गयी थी। लेकिन इस आराजी पर हनुमान जी महाराज विराजमान होकर पुजारी काबिज रहे हैं। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं मौका पर्चा में उपस्थित ग्राम वासियों एवं सरपंच ने वाद पत्र के उक्त सभी कथनों को सही बताकर पुष्टि की है। वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से भी वाद पत्र के उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार यह साबित होता है कि विजयागिरि ने अपने जीवनकाल में ही इस आराजी को हनुमान जी महाराज (वादी) के हक में समर्पण कर दिया गया था। लेकिन रिकार्ड नाम कराने से पूर्व अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाने से रिकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज नहीं हो सका था लेकिन वास्तव में वादी इस जमीन का खातेदार काश्तकार है एवं काबिज है। तथा अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी भी है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र में ख.नं. $\frac{359}{0.08}$, $\frac{360}{0.03}$, $\frac{361}{3.08}$ का रकबा जमाबन्दी के अनुसार नक्शा अक्स में कमी आकृति के अनुसार होने में त्रुटि होना बताया है। वादी के कथनानुसार नक्शा अक्स में शुद्धि करने के लिए तहसीलदार राजाखेड़ा ने अपने जबाब दावा में शुद्ध किया जाना उचित बताया है। मौका पर्चा में भी यथावनुसार

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः 6

शुद्धि हेतु निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नक्शा ट्रेस नकल का अवलोकन करने पर भी नक्शे में खसरा नम्बरों की जो आकृति बनी है वह जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार मिलान नहीं खाती है। आकृतियां जमाबन्दी में दर्ज रकबे से बड़ी अथवा छोटी दिखाई पड़ती हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन नम्बरों के अंकन करने में वास्तव में नक्शे में वास्तव में त्रुटि हुई है। जबाब तहसीलदार राजाखेड़ा से भी इसकी पुष्टि होती है इसलिए वाद पत्र के अनुसार नक्शे में इन खसरा नम्बरों को हम शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार हम दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख०न० 361 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा स्थित ग्राम इन्द्रावली तहसील राजाखेड़ा को मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज मावा० ग्राम इन्द्रावली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुजारी अन्तर सिंह पुत्र श्यामलाल का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व एवं सम्बन्ध सरोकार नहीं रहेगा। इस आराजी पर वर्तमान में दर्ज विजय गिरि के नाम के इन्द्राज को खारिज किया जावे साथ ही नक्शा ट्रेस में शुद्धि हेतु नक्शे में वर्तमान में दर्ज ख०न० 360 के स्थान पर ख०न० 359, ख०नं० 361 के स्थान पर ख०नं० 360 एवं ख०न० 359 के स्थान पर ख०न० 361 दर्ज कर शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17-6-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार मंगल)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा